न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1971–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–04–2014 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला रायसेन, प्रकरण कमांक 40/बी–103/2012–13(33).

.....

मनसूर अहमद आत्मज महबूब अहमद
मनसूर ट्रेडर्स प्लाट नम्बर 557,
न्यू केटेग्राईज्ड मार्केट, जिला भोपाल म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला रायसेन
2–श्री आर.बी.सिंह अपर तहसीलदार एवं
सेल्स टैक्स ऑफीसर, सर्कल–5, जिला भोपाल

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक–आवेदक
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 13/4/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–04–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि उपपंजीयक, जिला भोपाल द्वारा विकय प्रमाण पत्र मूल्य रुपये 8,98,00,000/– अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत परिबद्ध कर अधिनियम की धारा 38 के अन्तर्गत कमी मुद्रांक शुल्क की वसूली हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला रायसेन को भेजा गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 40/बी–103/2012–13(33) दर्ज कर दिनांक 23–04–2014 को आदेश पारित कर विकय प्रमाण पत्र पर रुपये 76,33,000/– मुद्रांक शुल्क

निर्धारित किया गया एवं अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत रुपये 10,00,000/– शास्ति अधिरोपित की गई । इस प्रकार कुल राशि रुपये 86,33,000/– आवेदक से जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष आवेदक की ओर से कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा जारी सूचना पत्र का जबाव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अनेक न्यायदृष्टांतों का उल्लेख किया गया था, परन्तु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत उत्तर पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है, जो कि वैधानिक एवं सकारण नहीं होने से इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विधिवत् उत्तर एवं न्यायदृष्टांतों पर विचार कर ही आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि विक्रय प्रमाण पत्र दोनों व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित हुआ है, परन्तु आवेदक ने उसे चैलेंज क्यों किया है, यह नहीं बताया है । उनके द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य विक्रय कर अधिकारी द्वारा तय किया गया है और उसी बाजार मूल्य पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा मुद्रांक शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । चूँकि आवेदक द्वारा मुद्रांक शुल्क का अपवचंन किया गया है, इसलिये कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अधिरोपित शास्ति भी अपने स्थान पर वैधानिक एवं उचित है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत जबाव एवं न्यायदृष्टांतों पर विचार कर ही उनके प्रकाश में आदेश पारित किया गया है, इसलिये आवेदक के अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदक के उत्तर

एवं न्यायदृष्टांतों पर विचार नहीं कर आदेश पारित किया गया है । इस प्रकार कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–04–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर